

316/16 पञ्चम (राजस्व लोक कृषि) अर्थशास्त्र अधिकारी
 के पत्र द्वारा प्राप्ति के सापला मन्त्री
 एवं गैर सापला प्रमाण द्वारा खर्च
 पत्रों में अंकित करा कि हमें संपत्ति
 हो गया है। इसलिए प्राप्ति अर्थात् निवेदन कि धर्म
 चाना नहीं चलाना चाहते हैं। निरिक्त प्राप्ति
 प्रपत्र-1 पर सरपंच ग्राम पंचायत की तस्वीर
 के बाद पत्र हुआ जिसे शामिल किया
 कि जावे। अतः प्राप्ति अर्थात्
 निवेदाज्ञा में कार्यवाही प्रो. की
 जाकर निरस्त की जाती है। पञ्चम
 के सत सुभा (राजस्व) से कर्त की
 जाकर वाद नकलीय दखिल दफ्तर
 कि जावे।



उप जिला कलेक्टर
 हिन्दौन सिटी, जिला करौली